

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर


आदेश

क्रमांक **446** / गोपनीय / 2022  
चार-12-31 / 72 (भाग-चार-ए)

जबलपुर, दिनांक **20** अप्रैल, 2022

श्रीमती निधि जैन (सीनियर), तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, कटनी की प्रार्थना पर, पूर्व से दर्ज उनके गृह जिला "सागर" के साथ "टीकमगढ़ (म0प्र0)" भी अंकित किये जाने की उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है। उनके स्थानान्तरण के समय उनके मूल एवं बदले हुये गृहजिले को विचार में लिया जावेगा। गृहजिला परिवर्तन की अनुमति मात्र अनुषंगिक उद्देश्य (ancillary purposes) के लिये है, जैसे कि गृहनगर अवकाश यात्रा सुविधा (HTC) का दावा इत्यादि। उनके संबंधित समस्त प्रपत्रों में उनका परिवर्तित गृह जिला **टीकमगढ़ (म0प्र0)**, उनके मूल गृहजिला "सागर" के साथ जोड़ा जावे।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,

  
(कृष्णमूर्ति मिश्र)  
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक **447** / गोपनीय / 2022  
चार-12-31 / 72 (भाग-चार-ए)


जबलपुर, दिनांक **20** अप्रैल, 2022

प्रतिलिपि:-

1. उपनियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स हबीबगंज, भोपाल-6, को मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित ।
2. प्रमुख सचिव एवं विधि परामर्शी मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल-462004, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
3. प्रधान महालेखाकार, (लेखा/हकदारी) प्रथम (टी0एम0 अनुभाग), कार्यालय महालेखाकार, (लेखा/हकदारी) प्रथम, मध्यप्रदेश, लेखा भवन, झांसी रोड, ग्वालियर-474002, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
4. महालेखाकार (2) मध्यप्रदेश-ग्वालियर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।

- 5 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, **विदिशा** को उनके पृष्ठांकन क्रमांक 86/2021, दिनांक 08.01.2022 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।
- 6 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, **कटनी** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। वे कृपया **श्रीमती निधि जैन (सीनियर)**, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, कटनी की सेवा पुस्तिका में आवश्यक प्रविष्टी लेने का कष्ट करें।
- 7 **श्रीमती निधि जैन (सीनियर)**, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, **कटनी** को उनके आवेदन पत्र क्रमांक 03/2022, दिनांक 04.01.2022 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।
- 8 विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (कम्प्यूटर), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 9 प्रशासनिक अधिकारी, पेन्शन शाखा, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 10 प्रशासनिक अधिकारी, बजट/ सहायक (कार्य)/ शिकायत/ वेतन निर्धारण (राजपत्रित)/ अग्रिम/ अवकाश (राजपत्रित)/ सिविल चेकर/ क्रिमिनल चेकर/ डी0ए0 (गोपनीय शाखा)/ सीनियर कम्प्यूटर प्रोग्रामर असिस्टेंट (गोपनीय शाखा), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
- 11 रजिस्ट्रार जनरल के निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।

टिप्पणी :- रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्र. **Reg (IT) (SA) /2018/368**, दिनांक 01/03/2018 के द्वारा ट्रांसफर व पोस्टिंग संबंधी आदेशों की प्रिंटिंग, फोटोकॉपी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तदनुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन सुनिश्चित करें।

  
 (कृष्णमूर्ति मिश्र)  
 रजिस्ट्रार जनरल  
 sb